

अनुमंडल न्यायालय-असैनिक न्यायाधीश (वरीय कोटि) बनमनखी, पूर्णिया बिहार

स्वत्व वाद संख्य-127/04

ईश्वर चन्द बनाम संजय कु.यादव उर्फ कुमार शेखर एवं अन्य

Order date	Order with signature of the Court	Office action taken
पुनश्च 24/01/24	<p>यह वाद वादी की ओर से आदेश 6 नियम 17 दीवानी प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन दिनांक 03/11/23 एवम 13/12/23 पर आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया है उक्त आवेदन को संचालित कर वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा समर्पित किया गया कि टंकक की त्रुटी के कारण वाद पत्र में निम्नलिखित संशोधन किया जाना आवश्यक है -</p> <p>1. अनुसूची A में खाता 87 का कुल रकबा में 7.43 के स्थान पर 8.72 , पृष्ठ सं.8 में खाता 659 के प्लॉट 2434 का रकबा 5.48 के स्थान पर 5.56, प्लॉट 2439 का रकबा 3.93 के स्थान पर 1.52 , प्लॉट 2577 का रकबा 5.70 के स्थान पर 4.66 प्रतिस्थापित किया जाय एवम प्लॉट 2721 के रकबा को विलोपित किया जाय </p> <p>2. वादपत्र के पृष्ठ 9 में खाता 659 के प्लॉट 2619 के रकबा 1.56 के स्थान पर 1.46 एवम कुल रकबा 60.45 के स्थान पर 58.59 प्रतिस्थापित किया जाय तथा खाता 660 के प्लॉट 2298, 2299, 2301 , 4656, 4674, 4675, 4676, 4677 के रकबा को विलोपित किया जाय एवम प्लॉट 2627 के रकबा 00.42 के स्थान पर 00.13 एवम खाता 660 का कुल रकबा 5.93 के स्थान पर 5.07 प्रतिस्थापित किया जाय </p> <p>3. वाद पत्र के पृष्ठ 10 पर खाता नंबर 661 के प्लॉट संख्या 2669 के स्थान पर प्लॉट संख्या 2569, खाता संख्या 661 के प्लॉट संख्या 2685 के रकबा 26.85 के स्थान पर 23.85, प्लॉट संख्या 2620 के रकबा 2.70 के स्थान पर 2.06 को प्रतिस्थापित किया जाय तथा खाता संख्या 662 के प्लॉट संख्या 2720 के रकबा को विलोपित किया जाय एवम खाता संख्या 661 का कुल रकबा 1435 के स्थान पर 1371 प्रतिस्थापित किया जाय एवम खाता संख्या 663 के प्लॉट संख्या 2377 के रकबा 00.70 के स्थान पर 00.55 व खाता संख्या 663 का कुल रकबा 10.14 के स्थान पर 10.55 एवम खाता 655 के प्लॉट सं. 2651 from south के रकबा 0.99 के स्थान पर 8.99 एवम पृष्ठ 11 पर खाता 665 का कुल रकबा 18.93 के स्थान पर 26.93 प्रतिस्थापित किया जाय </p> <p>4. पृष्ठ 12 पर खाता 743 के प्लॉट 3678 का रकबा 00.61 के स्थान पर 00.81 एवम खाता 743 का कुल रकबा 3.55 के स्थान पर 3.75 प्रतिस्थापित किया जाय पृष्ठ 13 पर खाता 752 के प्लॉट 3760 के स्थान पर प्लॉट 2760 प्रतिस्थापित किया जाय एवम खाता 747 का प्लॉट 3790 का रकबा 1.07 विलोपित कर खाता 747 का कुल रकबा 40.94 के स्थान पर 39.87 प्रतिस्थापित किया जाय </p> <p>5. वाद पत्र के पृष्ठ 14 के खाता 761 के प्लॉट 2595 व 2596 को विलोपित किया जाय एवम प्लॉट 2597 के स्थान पर 2697 प्रतिस्थापित कर खाता 761 का कुल रकबा 6.27 के स्थान पर 5.69 प्रतिस्थापित किया जाय खाता 769 के प्लॉट न. 2722 के रकबा 1.10 के स्थान पर .56 एवम खाता 759 का कुल रकबा 9.46 के स्थान पर 8.92 प्रतिस्थापित किया जाय </p>	

लगातार
24/01/24

6. अनुसूची A में खाता 241 का प्लॉट 3325 रकबा 2.30, प्लॉट 2664 रकबा .87, खाता 242 प्लॉट 2670 रकबा 2.18 कुल रकबा 5.35 एवम खाता 143 का प्लॉट 3291 रकबा .41, प्लॉट 3294 रकबा .26, प्लॉट 3326 रकबा .54 प्लॉट 3327 रकबा .34 एवम खाता 146 का प्लॉट 2658 रकबा .86 कुल रकबा 2.41 एवम खाता 106 का प्लॉट 3335 रकबा 2.98 एवम खाता 465 का प्लॉट 3281 का रकबा .99 एवम खाता 185 का प्लॉट 2669 का रकबा 1.40 , खाता 187 का प्लॉट का रकबा .38 कुल रकबा 1.78 एवम प्लॉट 2662 का रकबा .47 , प्लॉट 2663 का रकबा .46 कुल रकबा .93 एवम कुल रकबा 14.44 (fourteen acre and fourty four decimal) जोड़ा जाय |

7. वाद के दौरान कई पक्षकार की मृत्यु हो गई है जिस कारण से उनके विधिक वारिसान अभिलेख पर लाए गए हैं जिस कारण से पक्षकारों के क्रमांक को सुधारने की आवश्यकता है | उक्त संशोधन सामान्य प्रकृति का है अतः वादपत्र में संशोधन करने की अनुमति प्रदान करने की कृपा की जाए।

प्रतिवादीगण को उक्त संशोधन से कोई आपत्ति नहीं है।

उभयपक्ष को सुना एवम अभिलेख का अवलोकन किया | अभिलेख के अवलोकन से प्रतीत होता है की वादी के द्वारा उपरोक्त संशोधन चाहा गया है जिस पर प्रतिवादी गण को कोई आपत्ति नहीं है | वाद के प्रभावी एवम न्यायपूर्ण निराकरण के लिए वादी के उक्त दोनों आवेदन को न्यायहित में स्वीकृत कर वादी को आदेश की तिथि से 14 दिन के भीतर उक्त संशोधन किए जाने की अनुमति प्रदान की जाती है | कार्यालय को निर्देश दिया जाता है | वाद दिनांक 05/02/24 वास्ते अग्र कार्यवाही हेतु नियत |

लेखापित-

असैनिक न्या.(व.को.)बनमनखी
पूर्णिया ,बिहार